फर्द अहकाम

सरकार बनाम अरशद अहमद कुरैशी वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद [illegible]

34/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
13/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] के साथ पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] आपत्ति/जवाब दिनांक 3/1/25 को पेश हो	
3/1/25	पत्रावली पेश [illegible] संघ द्वारा [illegible] कार्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक [illegible] पेश हुई 31/1/25	
31/1/20	पत्रावली पेश हुई [illegible] संघ द्वारा [illegible] [illegible] पेश हुई 11/2/25	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप०। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया, लेकिन उपस्थित नहीं आए। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जलालाबाद) द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 रा०सं० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास	

फर्द अहकाम

सरकार बनाम अरशद अहमद कुरैशी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 34/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
34 / 2024	13 / 03 / 2024	11.02.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

ारशद अहमद कुरैशी पुत्र असफाक अहमद
ुस्कान परवीन पुत्री असफाक अहमद
ामशाद परवीन कुरैशी पुत्र असफाक अहमद
ाहीन परवीन पुत्री असफाक अहमद
ामस्त जातियान मुसलमान निवासीयान प्लॉट नं0 125, कृष्णापुरी नाहरी का नाका जयपुर जिला
ायपुर।

अप्रार्थीगण

ापस्थित –

रोकार सरकार :– उपस्थित।

दावा बाबत बेदखली एवं सिवायचक करने
अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णयः–

प्रार्थी (तहसीलदार जमवारामगढ) ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश ाया कि ग्राम सायपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित ाबन्दी संवत 2074 से 2077, संवत 2076 के खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर ़3 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में ार्थी अरशद अहमद कुरैशी पुत्र असफाक अहमद, मुस्कान परवीन पुत्री असफाक अहमद, शमशाद ़वीन कुरैशी पत्नि असफाक अहमद, शाहीन परवीन पुत्री असफाक अहमद समस्त जातियान ़लमान निवासीयान प्लॉट नं0 125, कृष्णापुरी नाहरी का नाका जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि है तथा प्रार्थी भूमिधारी है। पटवारी हल्का सायपुरा के जॉच ़ोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 ़ता कुल रकबा 1.3530है0 पर गैर कृषि कार्य रिसोर्ट व हॉटल को संचालित कर बिना संपरिवर्तन कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ़55 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। अप्रार्थीगणों को इस कार्यालय/न्यायालय तहसीलदार ़वारामगढ के द्वारा नोटिस कमांक रीडर 461–464 दिनांक 22.12.2022 द्वारा जारी किया जाकर ़टल रिसोर्ट संचालित के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। लेकिन ़ार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा, श्री बबलू शर्मा द्वारा उपस्थित होकर अपनी ़डरटेकिंग प्रस्तुत की लेकिन बार–बार इस कार्यालय की कार्यवाही के दौरान समुचित अवसर दिये ़ने पर भी आज दिनांक तक कोई अभिभाषण पत्र (वकालतनामा) व अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत ़ी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि मे कराये जा रहे अकृषि प्रयोजनार्थ संचालित होटल व ़ोर्ट प्रार्थी के भू स्वामित्व के विरूद्व होकर हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण बेदखली को

उपखण्ड अधिकारी

श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कृषि भूमि पर की जा रही गैर कृषि कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है। अप्रार्थीगण द्वारा धारित खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जाना न्यायोचित है। कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी की भूमि पर भूमि धारण करने वाले खातेदारों द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया गया है, जिसके लिए खातेदारन को मौके से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम सायपुरा पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित जमाबन्दी संवत 2074 से 2077, संवत 2076 के खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी अरशद अहमद कुरैशी पुत्र असफाक अहमद, मुस्कान परवीन पुत्री असफाक अहमद, शमशाद परवीन कुरैशी पत्नि असफाक अहमद, शाहीन परवीन पुत्री असफाक अहमद समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान प्लॉट नं0 125, कृष्णापुरी नाहरी का नाका जयपुर की खातेदारी कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य होटल व रिसोर्ट संचालन करने पर सम्पूर्ण भूमि को सिवायचक घोषित किया जाकर खातेदारान को बेदखल करने के आदेश प्रदान करें एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी रजिस्टरर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही। अप्रार्थीगणों/प्रतिवादीगणो को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 में खातेदार (अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) द्वारा बिना संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि को अकृषि कार्य (होटल एवं रिसोर्ट संचालित कर) उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरित है तथा प्रदत्त शर्तो को भंग किया गया है। बिना संपतिवर्तन आदेश प्राप्त किये कृषि भूमि का अकृषि कार्य यथा होटल एवं रिसोर्ट संचालित कर उपयोग उपभोग करने से राजस्व की भी हानि हुई तथा नियम विरूद्व भी है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शर्तो को भंग करने पर राजकीय भूमि (सिवायचक) घोषित की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही तहसीलदार जमवारामगढ को यह आदेश भी दिया जाता है कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 से बेदखल किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
34/2024	13/03/2024	11/02/2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. अरशद अहमद कुरैशी पुत्र असफाक अहमद
2. मुस्कान परवीन पुत्री असफाक अहमद
3. शमशाद परवीन कुरैशी पुत्र असफाक अहमद
4. शाहीन परवीन पुत्री असफाक अहमद

समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान प्लॉट नं0 125, कृष्णापुरी नाहरी का नाका जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>दावा बाबत बेदखली एवं सिवायचक करने</u>

<u>अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सायपुरा, पटवार हल्का सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शर्तो को भंग करने पर राजकीय भूमि (सिवायचक) घोषित की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। साथ ही तहसीलदार जमवारामगढ को यह आदेश भी दिया जाता है कि अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि खाता सं0 नया 6 पुराना 103 में अंकित खसरा नम्बर 183 रकबा 1.3530है0 किस्म बारानी 1 किता 1 कुल रकबा 1.3530है0 से बेदखल किया जावें।

डिक्री दिनांक 11.02.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

	स्टाम्प अर्जी दावा	
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ